पट्टा एवं विक्रय प्रलेख

यह पट्टा एवं विक्रय प्रलेख आज दिनांक १०
यह पट्टा एवं विक्रय प्रलेख आज दिनांक 10
१९७६ के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -६) की धारा -३ के अन्तर्गत गठित नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो
एतद्पश्चात "प्राधिकरण" नामांकित होगा तथा इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी व अभिहस्तांकित भी सम्मिलित होगें तथा दूसरी और She Lata She I woman kindook - Age - 46 years
पुत्र/पुत्री/पत्नी
जा एतट्पश्चीत द्वितियपक्ष नामाकित हागा तथा इस अभिव्यक्ति में द्वितीयपक्ष के उत्तराधिकारी निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि
व अभिहस्तांकित भी सम्मिलित होगें, के मध्य प्राधिकरण के भवन संख्या 1.2.2 15 ब्लाक
सैक्टर
हेतु इस प्रलेख में वर्णित शर्ती व नियमों पर दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा व सहमित से निष्पादित किया गया है।
उक्त भवन जिसका विवरण अनुसूची (१) में उल्लेखित है प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८९४ के अन्तर्भत
अधिग्रहीत औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु विकसित भूमि पर निर्मित आवासीय भवन का भाग है।
द्वितीयपक्ष ने प्राधिकरण की प्राधिकरण की प्राधिकरण की प्राधिकरण द्वारा निम्न धारा ३ (१) में वर्णित निर्धारित मूल्य पर तथा तत्पश्चात् उल्लेखित नियमों व विनियमों के अन्तर्गत किया है तथा प्राधिकरण द्वारा निम्न धारा ३ (१) में वर्णित निर्धारित मूल्य पर तथा तत्पश्चात् उल्लेखित नियमों व विनियमों के अन्तर्गत किया है तथा प्राधिकरण द्वारा निम्न धारा ३ (१) में वर्णित निर्धारित मूल्य पर तथा तत्पश्चात् उल्लेखित नियमों व विनियमों के अन्तर्गत मात्र आवासीय उपयोग हेतु क्रय करने तथा भवन से संबंधित अनुपातिक भूमि के पट्टाधृत अधिकारों का अंतरण करने को सहमत है।
के कि वह इस योजना में पंजीकरण हेतु जारी विवरण पत्रिका में वर्णित आबंटन की
? (१) द्वितीय पक्ष ने सुनिश्चित कर लिया है कि एक्स है सिद्ध करने हेतु अपनी पूर्ण सहमित तथा स्वीकृति प्रदान करता पात्रता के अन्तर्गत अर्ह है तथा प्राधिकरण की मांग पर इसे सिद्ध करने हेतु अपनी पूर्ण सहमित तथा स्वीकृति प्रदान करता
है।
है। १ (२) पूर्विलिखित विधिक प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात् भी यदि किसी जाँच के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता १ (२) पूर्विलिखित विधिक प्रलेखों के निष्पादन के पश्चात् भी यदि किसी जाँच के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण द्वारा यह पाया जाता है कि (जिसका निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा) द्वितीयपक्ष द्वारा मूल आवेदन पत्र में या भवन में आवंटन व कब्जे से
संबंधित अन्य पत्र व्यवहार में कोई असत्य/कपटपूर्ण/मिध्यापूर्ण प्रिया व छलपूर्वक भवन का आबंटन व कब्जा प्राप्त करने
्रें च माहित्यामा को पेठ जीवनगर ले गाँउ गाँउ गाँउ गाँउ गाँउ गाँउ गाँउ गाँउ
- critical 200 de (1 (12) 12)
इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की जालसाजी अथवा मिथ्या निरूपण पाप जान र रिक्रिया निरूपण
्र की जा सकती है।